

दिनांक 19.07.2019

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी

वनमंडल रायसेन म.प्र.

विषय:—ऑप्टिकल फाइबर केबिल हेतु दी गई सैद्धांतिक अनुमति हेतु पालन प्रतिवेदन
बावत् ।

संदर्भ:—आपके द्वारा दी गई सैद्धांतिक अनुमति क्र./मा.चि./1140 दिनांक
17/07/2019 FP/MP/OFC/37980/2019

महोदय,

संदर्भित पत्र के अनुसार उदयपुरा.गैरतगंज एवं हाटपिपल्या . नकतरा मार्ग कक्ष क्र.

RF183, RF184, RF125, RF124, RF123, RF98, RF115, RF100, RF103, PF111 & RF380कुल
वनक्षेत्र रकवा 0.8138 हे, से गुजरेगी।

ओ.एफ.सी. लाइन बिछाने की सैद्धांतिक स्वीकृति आपके पत्र क्र.क्र.माचि/1140 दिनांक
17/07/2019 की गयी थी। प्रदान की गयी अनुमति में दी गयी सभी शर्तों का पालन
करने हेतु आवेदक संस्था (रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड भोपाल) वचनबद्ध है। पत्र में
दी गई शर्तें निम्नानुसार मंजूर है।

क्र.	शर्त	सहमति
1.	वन भूमि का वैदयानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा	सहमति
2.	उक्त कार्य केवल उपलब्ध मार्ग के किनारे " राइट ऑफ़ वे "के तहत किया जावेगा। " राइट ऑफ़ वे " से तात्पर्य मार्ग के किनारे - किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।	सहमति
3.	यद्यपि प्रस्तावित लाइन में वृक्ष नहीं आ रहे हैं फिर भी खांटी खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जावेगी तथा खांटी में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा।	सहमति
4.	प्रस्ताव अनुसार ओ.फ.सी केबल लाइन डालने हेतु खंती का आकार २ मीटर गहरा एवं ०.५० मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।	सहमति
5.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	सहमति

6.	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिटटी / पत्थर की आवश्यक हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा , जिसकी पूर्ति अन्य स्थानों से की जावेगी ।	सहमति
7.	यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचायी जाती है तो वन मंडलाधिकारी रायसेन द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार , राज्य शासन , अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म प्र भोपाल , मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल रायसेन द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी ।	सहमति
8.	पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास /आवास को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तो आवेदक विभाग उसकी भरपाई करेगा ।	
9.	पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास /आवास को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तो आवेदक विभाग उसकी भरपाई करेगा ।	सहमति
10.	ओ फ सी केबल लाइन डालने का कार्य सूर्य उदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जावेगा तथा वनक्षेत्र में कोई श्रमिक कैंप नहीं ब्लागया जावेगा ।	सहमति
11.	वनक्षेत्र स्थित किसी भी प्रकार की वनोपज का परिवहन नहीं किया जावेगा ।	सहमति
12.	आवेदक संस्थान उदयपुरा - गैरतगंज एवं घंटपिपलिया तक मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर खंती खोदकर ओ फ सी केबल लाइन बिछायेगा जिसका कि परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व रायसेन, गढ़ी , पश्चिम सिलवानी एवं देवरी तथा उप वनमंडलाधिकारी रायसेन / सिलवानी ने संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान क्षेत्र चिन्हित किया गया था ।	सहमति
13.	यदि भविष्य में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा वन विभाग द्वारा नेट - प्रिंट वेन्यू कि शर्त अधिरोपित कि जाती है तो आवेदक संस्थान उक्त शर्त को मानाने के लिए वचनबद्ध रहेगा ।	सहमति
14.	प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त स्वीकृति आप द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव अनुसार वनक्षेत्रों के अंतर्गत ही प्रदान कि गयी है यदि प्रकरण में राजस्व विभाग के अधीन राजस्व	सहमति

	वनक्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में खुदाई की जाती है तो विधि अनुसार कार्यवाही कि जाएगी ।	
15.	म प्र शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के आवेदक क्रमांक / फ- ५-१४/२००५/१०-३ दिनांक ३०.०७.२०१२ में निहित प्रावधानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क ५०००/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क २५०००/- कुल राशि ३००००/- का डिमांड ड्राफ्ट आवेदक विभाग द्वारा राज्य के राजस्व मद में ऑनलाइन जमा कराया गया है जिसका यूटीयार क्रमांक म प्र ०४०६१९०३२०१९००००१६ दिनांक १९.०३.२०१९ है । वन भूमि व्यपर्वतन के भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन के प्रकरणों को म प्र शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक / A फ / १६/ २०००/ १०-३ दिनांक १२.०९.२००८ द्वारा प्रकरण को N.P .V की राशि से छूट प्रदान की गयी भाई किन्तु आवेदक विभाग को नोडल अधिकारी के समक्ष १००/- रुपये की राशि ऑन लाइन वेबसाइट पोर्टल पर केम्पा खाता के अन्य मद में इ - पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी ।	सहमति प्रति संलग्न है ।
16.	राशि जमा होने के उपरांत आवेदक विभाग शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।	सहमति प्रति संलग्न है ।

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नीतिन चंसेरिया)





DIGITAL
LIFE

दिनांक 19.07.2019

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी

वनमंडल रायसेन म.प्र.

विषय:—ऑप्टिकल फाइबर केबिल हेतु दी गई सैद्धांतिक अनुमति हेतु पालन प्रतिवेदन
बावत् ।

संदर्भ:—आपके द्वारा दी गई सैद्धांतिक अनुमति क्र./मा.चि./1140 दिनांक
17/07/2019 FP/MP/OFC/37980/2019

महोदय,

संदर्भित पत्रा क माध्यम से सैद्धांतिक अनुमति जारी की गई । जिसमें प्राप्त निर्देशानुसार
पालन प्रतिवेदन ऑनलाई जमा करते हुए 100/— अन्य मद में भी ऑनलाइन जमा किये जा
चुके हैं। अतः पालन पतिवदन की प्रति औपचारिक स्वीकृति हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न :-

1. पालन प्रतिवेदन
2. वचन पत्र
3. 100 केम्पा खातें में जमा की रसीद

रिलायंस जिओ इफोकॉम लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नितिन चंसोरिया

स्टेट कोर्डिनेटर मध्य प्रदेश



DIGITAL
LIFE

वचन पत्र

रेलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड वचनबद्ध है कि उदयपुरा, गैरतगंज एवं हाटपिपल्या .
नकतरा मार्ग पर प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन राइट ऑफ वे के अंतर्गत आने वाले
क्षेत्र में ही डाली जाएगी, इसके अलावा अन्य कोई वन भूमि प्रभावित नहीं होगी।

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नितिन चंसोरिया
स्टेट कोर्डिनेटर मध्य प्रदेश



DIGITAL
LIFE

वचन पत्र

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड वचनबद्ध है कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान वन संरक्षक, म.प्र क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें मान्य होंगी।

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

अधिकृत इस्ताक्षककर्ता

नितिन चसोरिया

स्टेट कोर्डिनेटर म.प्र.

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 06-07-2019	
Agency Name.	RELIANCE JIO INFOCOM LTD.
Application No.	7137980399
MoEF/SG File No.	NA
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	3rd Floor DB Mall Bhopal
Amount(in Rs)	100/-
Amount in Words :One Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150767137980399 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 06-07-2019	
Agency Name.	RELIANCE JIO INFOCOM LTD.
Application No.	7137980399
MoEF/SG File No.	NA
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	3rd Floor DB Mall Bhopal
Amount(in Rs)	100/-
Amount in Words :One Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150767137980399 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Gairad gany - upkara route

12:14

VoLTE LTE 91%

Receipt



Transfer Successful

Reference ID	1750526912
Mode	NEFT
Paid to Account	Udaipura XX-XX-XX-XX-XX-XX- XX-99
Amount	₹ 100
From Account	XX-XX-XX-XX-XX-13
On	10/07/2019 12:14:27
Remarks	Bill Payment

Hide details ^



Home



Favourite

